प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2022**

विषय:-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण की धनराशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1918/अधि0नि0(वित्त)/निधि-I/आर(डिस्ट)/04-05/97/2004, दिनांक 15 जनवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण की धनराशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-वययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष-6003-109-03-30 के भारित मद में कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 93,91,78,000/- (रूपये तिरांनवे करोड़ इक्यांनवे लाख अठहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 24,85,83,141/- (रूपये चौबीस करोड़ पचासी लाख तिरासी हजार एक सौ इकतालिस मात्र) में से धनराशि रूपये 6,33,54,960/- (रूपये छः करोड़ तैंतीस लाख चौवन हजार नौ सौ साठ मात्र) आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या- 437/6/1/ECI/INST/MCC/2022, दिनांक 08-01-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 की घोषणा के उपरान्त आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उसके पूर्ण अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उललंघन न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक-"6003- राज्य सरकार का आनतरिक ऋण-109-अन्य संस्थाओं से कर्ज-03-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण का प्रतिदान-30-निवेश/ऋण" भारित मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3438-दस-2021-22, दिनांक 11 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

<u>संख्या-22 /2022/88(1)/24-1-22, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स-7- लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in